

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 64 सन 2022

अनवान :-

1. केशरदेवी पुत्री बेगाराम पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी राणीसर तहरील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956  
उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी  
निर्णय दिनांक :- 25/7/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 201/105 की कुल 29.9970 हैक् में से 347/1663 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी की नाम/सकुनत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय केशर पुत्री बेगाराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा दर्ज हो गयी जबकि प्रार्थीया की सही नाम/सकुनत केशर देवी पुत्री बेगाराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन राणीसर है यही सकुनत अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी की नाम/सकुनत गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थीया की सकुनत अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी की नाम/सकुनत केशर देवी पुत्री बेगाराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन राणीसर दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की नाम/सकुनत गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपनी नाम/सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि में प्रार्थीया की नाम/सकुनत केशर पुत्री बेगाराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा के स्थान पर की नाम/सकुनत केशर देवी पुत्री बेगाराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन राणीसर संशोधन करने के आदेश फरमाये।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 201/105 की कुल 29.9970 हैक् में से 347/1663 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

प्रार्थी की सकुनत राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय निवासी अबूशहर तहसील डबवाली जिला सिरसा दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया की सही सकुनत निवासी खूर्ईया तहसील नोहर है यही सकुनत अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी की सकुनत गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थीया की सकुनत अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी की सकुनत निवासी खूर्ईया तहसील नोहर दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी की सकुनत गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपनी सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे


पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी के नाम रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 201/105 की कुल 29.9970 हैक् में से 347/1663 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी की नाम/सकुनत केशर पुत्री बेगाराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम/सकुनत केशर पुत्री बेगाराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन राणीसर है यही सकुनत अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि सभी में प्रार्थी की सकुनत दर्ज है प्रार्थी ने अपनी सकुनत के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात/ तहसीलदार का ऐतराज नहीं होने पर प्रार्थी अपनी सकुनत राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 201/105 की कुल 29.9970 हैक् में से 347/1663 हिस्सा भूमि में प्रार्थी की नाम/सकुनत केशर पुत्री बेगाराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा के स्थान पर केशर पुत्री बेगाराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन राणीसर संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर इ. हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर  
दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2022/

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 64/2022 अनवानी केशरदेवी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. केशरदेवी पुत्री बेगाराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी


बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 64/2022 अनवानी केशरदेवी बनाम सरकार में दिनांक 25/7/22 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 201/105 की कुल 29.9970 हैक् में से 347/1663 हिस्सा भूमि में प्रार्थी की नाम/सकुनत केशर पुत्री बेगाराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा के स्थान पर केशर पुत्री बेगाराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन राणीसर संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये हैं तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर, हनुमानगढ़ )  
नोहर